राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– जसाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

ठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

द सं0 : 43 सन 2018

1. अजय पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हसराज पुत्र मल्लाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. सरजीत पुत्र हसंराज जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. पुष्पा पुत्री हसंराज जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. विमला पुत्र हसंराज जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. मोनिका पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

'दावा अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में श कर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 153/145 की कुल 2.1760हैक वं चक 7 बारानी के खाता संख्या 435/430 की कुल 2.9600हैक भूमि जो पूर्व में वादी के पडदादा ल्लाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के दादा हसंराम के नाम से दर्ज ई है विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं तिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे ाजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 वय उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की ाद भूमि विरास्तन से वाद भूमि उसके नाम से दर्ज हुई जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का राबर का हक हिस्सा है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पडदादा मल्लाराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने स्वीकार कर राजीनामा पेश किया जा चुका है।

वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर वाद काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 153/145 की कुल 2.1760हैक एवं चक 7 बारानी के खाता संख्या 435/430 की कुल 2. 9600हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूप्ये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Sd/- Zaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–जसाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार --2018) कैम्प कोर्ट– जसाना

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

ाज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

ाद सं0 :43 सन 2018

1. अजय पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 हसराज पुत्र मल्लाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. सरजीत पुत्र हसंराज जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. पुष्पा पुत्री हसंराज जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. विमला पुत्र हसंराज जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. मोनिका पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 43 सन 2018 निर्णय दिनांक– 18.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 153/145 की कुल 2.1760हैक एवं चक 7 बारानी के खाता संख्या 435/430 की कुल 2.9600हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूप्ये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Sd/-
शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट– जसाना